डाक्यूमेंट

2011/00098

23.3.11
29.4.11

P/7

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) नगर (भरतपुर)
पीठासीन अधिकारी शैलेन्द्र कुमार आर. ए. एस.

वाद सं. 81/09

बाबू लाल पुत्र सगर जाति वैश्य नि. ग्राम मानोता खुर्द तह नगर हाल अलावड़ कस्बा गोविन्दगढ़ (अलवर) राज.
... वादी

बनाम

1 श्रीमति कान्ता शर्मा पत्नि मोहन सिंह जाति ब्राह्मण निवासी मानोता खुर्द तह नगर जिला भरतपुर (राज.)

2 हुकम चन्द पुत्र पूरन राम जाति ब्राह्मण नि. मानोता खुर्द तह नगर

3. हरीशचन्द पुत्र गंगा सहाय जाति वैश्य नि. मानोता खुर्द तह नगर

4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नगर

5 सब रजिस्ट्रार नगर
-- असल प्रतिवादी

6. रामजी लाल पुत्र सगर जाति वैश्य नि. लक्ष्मणगढ़ तह लक्ष्मणगढ़ (अलवर)

7. सुरवा पुत्र सगर जाति वैश्य नि. मानोता खुर्द तह नगर (भरतपुर)

8 केदार पुत्र सगर जाति वैश्य नि. बांदीकुई जिला दौसा (राज.)
-- तरतीबी प्रति

दावा अन्तर्गत धारा 53, 54 व 188
राजस्थान काश्तकारी अधि.

उपस्थित

1. श्री दिनेश चन्द गुप्ता अभिभाषक वादी

निर्णय

दिनांक 17.10.2011

वादी ने यह दावा इस आशय का पेश किया है कि हाल आ. ख. नं. 591/0.72 वाके ग्राम मानोता खुर्द तह. नगर में रामोतार सह काश्तकार [illegible] अंकित है जो लावल्द बिला औरत फौत हो [illegible] जिसके बिरधिक वारिस उसके सगे भाई [illegible] पर शामिल सह काश्तकार [illegible] रिकार्ड काश्त है। अब आराजी की काश्त को लेकर [illegible] कारान के मध्य मनमुटाव रहता है तथा आ. मुत. का अब तक निश्चित रूप -

उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर) राज.

19.6.12

-- 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 12:11:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

8

से विभाजन नहीं हुआ है। सह खातेदारान अपनी मर्जी मुताबिक हिस्सा निश्चित कर आराजीयात का बेचान करना चाहते हैं, तथा एक दूसरे की काश्त में मदाखलत-मजाहमत करने पर आमादा हैं। इस आशय की धमकी दि. 14.4.09 को सहखातेदार प्रतिवादी वगैरह वादी ने आ. का अच्छी से अच्छी तथा बुरी से बुरी का हिस्सा बनाकर पृथक-2 लगान व खाता कायम कराने का अधिकारी है। तरतीबी प्रतिवादी० वादी के सगे भाई हैं जो नक्ल कायमी बाद उपस्थित नहीं होने के कारण तरतीबी प्रतिवादी बनाये हैं जिनके विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा है। अन्त में निवेदन किया है कि दावा वादी डिक्री फरमाया जावे, तथा वि. आ. ख.नं. $\frac{572}{0.91}$ वाके ग्राम मातोला खुर्द तह नगर का विभाजन सह खातेदारान के मध्य किया जाकर पृथक-पृथक लगान व खाता कायम किया जावे तथा प्रति. असल को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादी सं. 1,2,3,5,7 के विरुद्ध दिनांक 15.7.09 को, प्रति. सं. 6 के विरुद्ध दिनांक 24.5.11 को तथा प्रतिवादी सं. 4 व 8 के विरुद्ध दिनांक 15.6.11 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में नकल-जमाबन्दी सं. 2061-64 EX.P.1 दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में बन्नूलाल P.W.1, गवाह डालचन्द P.W.2, एवं चन्द्रभान P.W.3 के शपथ-पत्र प्रस्तुत किये हैं।

वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2061-64 EX.P.1 ग्राम मातोला खुर्द तह नगर के खाता सं. 292 में आ. ख.नं. $\frac{572}{0.91}$ की बाबत - " रामौतार पुत्र गंगा सहाय 1/2 [illegible] विजय बेवा शिव चरन सुनीता, रेणू, बेबी [illegible] सहभागी 7/40 हि. हरीचन्द पुत्र [illegible] पुत्र गंगा सहाय 7/40 हि. [illegible] बाबूलाल केदार पि. सेगारन राम भाग 1/4 हि. जाति [illegible] सा. देह हुक्मचंद-

Sd/-
उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर) राज.

19.6.12

पुत्र मोहन राम ⅟₄₀ हि. जाति ब्राह्मण सा. डेह खातेदार" दर्ज है तथा ख.नं. 671 क्रम. से "भगवान के बजाय श्रीमती कान्ता शर्मा W/o मोहन सिंह जाति. ब्रा. ⅟₄₀ हि. सा. डेह खातेदार" तथा ख.नं. 673 क्रम. से "राजू पु. विजय, सुनीता रेणु बहनें हि. ⅟₄₀ के बजाय हुकम चन्द पुत्र मोहन राम जाति ब्रा. ⅟₄₀ हि. सा. डेह खातेदार" का नोट लाल स्याही से दर्ज है। इस प्रकार वादी एवं प्रति. क्र. 1, 2, 3, 6, 7, 8 वि. भू. के सह खातेदार काश्तकार हैं तथा अपने 2 हिस्सा अनुसार विभाजन कराने के अधिकारी हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया जाता है. तहसीलदार नगर को आदेशित किया जाता है कि वे आ. ख.नं. 572/0.91 वाके ग्राम मानोता खुर्द तहसील नगर के वादी एवं प्रति. सं. 1, 2, 3, 6, 7, 8 के मध्य जमाबंदी सं. 2064-61 में दर्ज हिस्सा अनुसार हुदे बना मे जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें, ताकि फाइनल डिक्री जारी की जा सके। इसी प्रकार खर्चा डिक्री जारी हो।

(शौकत अली)
उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर) राज.

निर्णय आज दिनांक 17.10.11 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शौकत अली)
उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 12:11:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

जाब्ते

2011/00098

28.2.11
3.3.11
23.3.11
29.4.11
31.5.11

... राजस्थान सरकार

8/10

प्राथमिक डिक्री ब मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

अंतिम डिकी

पीठासीन अधिकारी : श्री शौकत अली आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 81/09 निर्णय दिनांक 17.10.2011

उनवान

0. बाबूलाल पुत्र सगरू जाति वैश्य निवासी ग्राम मानौता खुर्द तहसील नगर हाल आबाद कस्बा गोविन्दगढ अलवर (राजस्थान)

–वादी

बनाम

0. श्रीमति कान्ता शर्मा पत्नि मोहन सिंह जाति ब्रहामण निवासी मानौता खुर्द तहसील नगर जिला भरतपुर (राजस्थान)
0. हुकम चन्द पुत्र गुहन राम जाति ब्रहामण निवासी मानौता खुर्द तहसील नगर
0. हरीश चन्द पुत्र गंगा सहाय जाति वैश्य निवासी मानौता खुर्द तहसील नगर
0. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नगर
0. सब रजिस्ट्रार नगर

– असल प्रतिवादी

0. रामजीलाल पुत्र सगरू जाति वैश्य निवासी लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ अलवर
0. सूखा पुत्र सगरू जाति वैश्य निवासी मानौता खुर्द तहसील नगर
0. केदार पुत्र सगरू जाति वैश्य निवासी बांदीकुई जिला – दौसा (राजस्थान)

– तरतीवी प्रतिवादी

(दावा 53,54,188 आर.टी.एक्ट)

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हमारे बहाजरी **श्री दिनेश चन्द गुप्ता अभिभाषक वादी** मिनजानिब मुद्दईमुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि दावा वादी प्राथमिक डिकी किया जाता है । तहसीदान नगर को आदेशित किया जाता हैं किवे आ. ख.न. 572/0.91, वाके ग्राम मानौता खुर्द तहसील नगर के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,3,4,5,6,7,8 के मध्य जमाबंदी संवत 2064–61 में दर्ज हिस्सा अनुसार कुरे बनाये जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार कराये जाकर प्रस्तुत करें ताकि कानूनन डिक्री जारी की जा सके ।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख [illegible] को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 12:11:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
नगर (भरतपुर)

Scanned by CamScanner